राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

दिनांकः 12.03.2018

क्रमांक/ न्याय/2018/ 1434

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला /17/6449–50 दिनांक 27.02.18 से पुलिस थाना सारोला कंला के अभियोग सं0 19/18 धारा 3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1– जगदीश नाथ पुत्र श्री मोहन लाल जाति नाथ उम्र 40 साल निवासी बरेडा पुलिस थाना सारोलाकंला जिला झालावाड 2– लक्ष्मीनारायण उर्फ बोहरा पुत्र चन्दन उर्फ चन्दनमल जाति गुर्जर उम्र 44 साल निवासी हरिगढ थाना खानपुर जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अंतर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.01.2018 को फरियादी श्री हेमराज पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर उम्र 44 साल निवासी खेरखेडा पुलिस थाना सारोलाकंला जिला झालावाड ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मै दिनांक 27.01.18 को मोटरसायकल से सारोलाकंला से मेरे गांव खेरखेडा जा रहा था कि बरेडी के पास आम रोड पर पहुंचा वहा एक मोटरसाईकिल काफी तेज गति से आई। जिस पर बैठे व्यक्ति ने मुझे जान से मारने के लिए फायरिग की. जिससे गोली मेरे गर्दन के पास से निकल गई, मै बाल बाल बचा। मैने मेरी मोटरसायकल धीरे की तो मोटरसाईकिमल आगे निकली। जिसको मैने देखा तो जगदीश पुत्र मोहनलाल जाति नाथ निवासी बरेडा का था। जिससे मेरी पुरानी रंजिश चल रही है। इसी के चलते जान से मारने की नीयत से उसने फायर किया उसके हाथ मे छोटा हथियार था। मुझे मारने की साजिश मे जगदीश के साथ ओर लोग भी हो सकते है इत्यादि पर प्रकरण सं0 19/18 धारा 307 भादस मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान एक खाली केश (कारतूस का खोल) मिला। प्रकरण हाजा मे अभियुक्त जगदीश नाथ पुत्र श्री मोहन लाल जाति नाथ उम्र 40 साल निवासी बरेडा पुलिस थाना सारोलाकंला जिला झालावाड को जुर्म धारा 307/34 भादस मे गिरफतार किया गया। अभियुक्त की इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम पर एक देशी रिवाल्वर व 2 कारतूस जिंदा जप्त किए गए। अभियुक्त लक्ष्मीनारायण उर्फ बोहरा पुत्र चन्दनमल जाति गुर्जर उम्र 44 साल निवासी हरिगढ को जुर्म धारा 307/34 भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित पाया जाने पर गिरफतार किया जाकर अभियुक्त लक्ष्मीनारायण की 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला पर भीलखेडा जंगल से एक देशी कटटा बरामद किया गया। जब्तशुदा देशी रिवाल्वर व 2 कारतूस व अवैध देशी कटटा का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो एक देशी रिवाल्वर .32 बोर लोकल मेटल लोहे का बना हुआ है रिवाल्वर पर जंग लगा हुआ है जिस पर किसी प्रकार के कोई नंबर अंकित नही है। सभी पार्टस सही कार्यरत है रिवाल्वर फायर करने योग्य है जो फायर आर्म्स की जद मे आता है। देशी कटटा .315 बोर लोकल मेटल लोहे का बना हुआ है जिस पर किसी प्रकार के नबंर व मार्का अंकित नही है मौजूदा समय मे इसके सभी पार्टस सही कार्यरत है। उक्त देशी कटटा फायर करने योग्य है जो फायर आर्म्स की जद मे आता है। 2 कारतूस .32 बोर पीतल के बने हुए है कारतूस मिस अवस्था मे है उक्त कारतूसो को फायर मे काम नही लिया जा सकता है उक्त कारतूस एम्युनेशन की परिभाषा मे आते है। एक खाली खोखा कारतूस 7.65 एमएम का है जो पीतल का बना हुआ है जिसकी केप पर केएफ 7.65 अंकित है उक्त खाली केश एम्युनेशन की परिभाषा मे आता है। अभियुक्तो के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरजीत ठोलिया, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर सारोलाकंला व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी देशी रिवाल्वर, देशी कटटा व कारतूसो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त 1– जगदीश नाथ पुत्र श्री मोहन लाल जाति नाथ उम्र 40 साल निवासी बरेडा पुलिस थाना सारोलाकंला जिला झालावाड 2– लक्ष्मीनारायण उर्फ बोहरा पुत्र चन्दन उर्फ चन्दनमल जाति गुर्जर उम्र 44 साल निवासी हरिगढ थाना खानपुर जिला झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड